www.dhyeyaias.com

अक्टूबर 2020 | अंक 01

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 | नागा विवाद
दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता

2 | स्वायत्त निकायों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत

3 | चीन का 'हाइब्रिड वारफेयर' और उससे संबंधित चुनौतियाँ

4 | कृषि में नवीनतम सुधार और उसका विवादित पक्ष

5 | तालिबान–अफगानिस्तान शांतिवार्ता की नई पहल और भारत

6 | प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : एक परिचय

7 | मिशन कर्मयोगी : लोक सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान

प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येय IAS
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अक्टूबर 2020 | अंक 01

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- नागा विवाद : दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता
- स्वायत्त निकायों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत
- चीन का 'हाइब्रिड वारफेयर' और उससे संबंधित चुनौतियाँ
- कृषि में नवीनतम सुधार और उसका विवादित पक्ष
- तालिबान-अफगानिस्तान शांतिवार्ता की नई पहल और भारत
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : एक परिचय
- मिशन कर्मयोगी : लोक सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 नागा विवाद : दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता

चर्चा का कारण

- हाल ही में नागालैण्ड राज्य के गवर्नर 'आर. एन. रवि' ने नागालैण्ड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि राज्य में विभिन्न विद्रोही संगठन अवैध वसूली कर रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था दिन-प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है।

परिचय

- वर्तमान में नागालैण्ड के जो गवर्नर हैं (आर. एन. रवि), उन्होंने नागालैण्ड के विभिन्न विद्रोही संगठनों और भारत सरकार के बीच सफलतापूर्वक शांतिवार्ता स्थापित करायी थी। इसी कारण भारत सरकार ने उन्हें वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि वे नागालैण्ड की यथास्थिति से भलीभाँति वाकिब हैं। नागालैण्ड के गवर्नर बनने के पहले आर.एन. रवि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में कार्यरत थे।
- नागालैण्ड की बिगड़ती कानून व्यवस्था और वहाँ के विभिन्न विद्रोही संगठनों द्वारा खुलेआम आम जनता से टैक्स के नाम पर अवैध वूसली करना आदि के कारण नागालैण्ड के गवर्नर ने नागालैण्ड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नागालैण्ड में बड़े स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण में उनकी अनुमति अनिवार्य होने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था को मिलकर दुरस्त किया जा सके।
- नागालैण्ड के गवर्नर के उक्त प्रकार के कदम को वहाँ के विद्रोही संगठनों ने अपने हित के विरूद्ध माना और केन्द्र सरकार से माँग की कि गवर्नर आर.एन. रवि को वार्ताकार (भारत सरकार एवं विद्रोही संगठनों के बीच) के पद से हटा दिया जाये, क्योंकि उन्हें उन पर अब विश्वास नहीं है।

- विद्रोही संगठनों (मुख्यत: एनएससीएन-आईएम) की उक्त माँग को भारत सरकार ने मान लिया है अर्थात् भारत सरकार ने नागालैण्ड राज्य के विद्रोही संगठनों के प्रति नरम रूख अपनाया है।

पृष्ठभूमि

- भारत की आजादी के बाद से ही नागालैण्ड के कुछ वर्गों ने भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र देश की माँग शुरू कर दी थी। जबकि कुछ वर्ग भारत में ही रहना चाहते थे किन्तु उनकी माँग थी कि नागालैण्ड को विशेष शर्तों के साथ राज्य का दर्जा दिया जाये।
- नागालैण्ड के विभिन्न वर्गों की उपर्युक्त माँगों को संगठनात्मक रूप देने हेतु नागा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई, जिसके नेता फिजो (Phizo) थे। इस परिषद पर भारत सरकार ने 1953 में प्रतिबंध लगा दिया।
- 1956 में नागा राष्ट्रीय परिषद ने अलग से संघीय सरकार की स्थापना की और अपने संघर्ष में हिंसा को प्रमुख स्थान दिया।
- 1975 में फीजो एवं उनकी परिषद ने केन्द्र सरकार के साथ शिमला एकार्ड के तहत सीज-फायर एग्रीमेण्ट साइन किया और बातचीत के माध्यम से मुद्दों व मतभेदों को सुलझाने का विकल्प चुना। किन्तु फिजो के शिष्यों (इसाक, मुईवा और खापलांग) ने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया।
- फिजो के शिष्यों ने भारत से अलग देश की माँग को उठाने हेतु 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (NSCN) का गठन किया और हिंसात्मक घटनाओं को और बढ़ा दिया।
- 1988 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) में दरार पड़ गयी और यह दो भागों में विभाजित हो गयी-

- एनएससीएन (आईएम): इसका गठन फिजो के दो शिष्यों (इसाक और मुईवा) ने मिलकर किया।
- एनएससीएन (खापलांग): इसका गठन फिजो के शिष्य 'खापलांग' ने किया।

- 1997 में एनएससीएन (आईएम) ने भी केन्द्र सरकार के साथ सीजफायर एग्रीमेण्ट कर लिया अर्थात् अब दोनों बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक हल निकालेंगे और एनएससीएन (आईएम) राज्य में किसी प्रकार की हिंसा भी नहीं करेगा।
- लेकिन एनएससीएन (खापलांग) ने केन्द्र सरकार के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा जो आज भी भारत की आंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चुनौती है।

वर्तमान प्रगति

- 1997 के बाद भारत सरकार और एनएससीएन (आईएम) के बीच लगातार बातचीत जारी रही और 2015 में दोनों के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेण्ट पर साइन हुआ।
- यह फ्रेमवर्क एग्रीमेण्ट भविष्य के फाइनल एकार्ड (Final Accord) हेतु रास्ता प्रशस्त करेगा अर्थात् यह फेमवर्क एग्रीमेण्ट, सिर्फ एक ढाँचा उपलब्ध कराता है जिसके तहत भारत सरकार व एनएससीएन (आईएम) बातचीत करके एक शांति समझौते पर पहुँचेंगे।
- हालाँकि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेण्ट में किस प्रकार के प्रावधान हैं, इसे लेकर सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है।
- 2015 में एनएससीएन (आईएम) के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेण्ट साइन होने के बाद केन्द्र सरकार ने अन्य छोटे-छोटे नागालैण्ड के विद्रोही संगठनों के साथ भी बातचीत की है ताकि यहाँ वास्तविक रूप से शांति स्थापित की जा सके और सभी को एक वृहद समझौते के तहत लाया जा सके।

चुनौतियाँ

- एनएससीएन (आईएम) की माँग है कि नागालैण्ड के अलावा आस-पास के जिन राज्यों (यथा-असम, मणिपुर आदि) में नागा लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों को मिलाकर एक 'वृहद नागालिम' (Greater Nagalim) की स्थापना की जाये। इस माँग से नागालैण्ड के पड़ोसी राज्यों का नाराज होना स्वाभाविक है, अंततः इस बिन्दु पर केन्द्र सरकार व विद्रोही संगठन के बीच विवाद है जो चिन्ता का विषय है।
- एनएससीएन (आईएम) की अन्य माँग है कि ग्रेटर नागालिम का अलग से संविधान व झण्डा होना चाहिए। विद्रोही संगठन की इस बात को केन्द्र सरकार द्वारा मानना लगभग नामुमकिन है। यदि यह बात मान ली जाती है तो दूसरे राज्यों से भी इसी प्रकार की माँगें उठने लगेंगी जो देश की सम्प्रभुता एवं अखण्डता के लिए खतरा है।
- एनएससीएन (आईएम) के कैडर अभी अपने हथियार लेकर खुलेआम प्रदेशभर में घूमते हैं और लोगों से अवैध वसूली करते हैं।

विदेशी ताकतों का हाथ

- नागालैण्ड के विद्रोही संगठनों को चीन व पाकिस्तान ने भी किसी न किसी प्रकार से मदद पहुँचाकर सशक्त किया है। चीन ने इन्हें अवैध तरीके से हथियार उपलब्ध कराये हैं।
- एक तरफ जहाँ लद्दाख में चीन और भारत के बीच तनाव चरम पर है, तो वहीं नागालैण्ड के विद्रोही संगठनों के कुछ युवा नेताओं ने बीजिंग की यात्रा की और नागा समस्या पर मदद माँगी है।
- ऐसे में यदि नागा समस्या बढ़ती है और नागालैण्ड के प्रमुख विद्रोही संगठन 'एनएससीएन (आईएम)' फिर से हथियार उठाता है तो चीन, भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में काफी अस्थिरता पैदा कर सकता है।
- पूर्व में म्यांमार ने भी अप्रत्यक्ष तरीके से नागालैण्ड के विद्रोही संगठनों को मदद उपलब्ध करायी है। नागालैण्ड के प्रमुख विद्रोही संगठन 'एनएससीएन (खापलांग)' का अवैध बेस (आधार) म्यांमार में ही है।
- हालाँकि वर्तमान की म्यांमार सरकार, भारत फ्रेंडली है और भारतीय सेना को अनुमति देती है कि वो म्यांमार की सरजमीं पर आकर नागालैण्ड के विद्रोही संगठनों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।

आगे की राह

- नागालैण्ड के छोटे-छोटे विद्रोही संगठनों की बड़ी माँगे नहीं हैं अर्थात् इन संगठन की छोटी-छोटी माँगें (यथा-कुछ स्वायत्तता, नागालैण्ड राज्य को अधिक फंड आदि) हैं। इस स्थिति में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार को फिलहाल अभी इन्हीं संगठनों से समझौता करना चाहिए। हालाँकि इससे एनएससीएन (आईएम) के नाराज होने का खतरा है।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास गवाह है कि आंतरिक विद्रोह समस्या में न तो विद्रोही संगठनों की पूर्णतः जीत होती है और न ही वहाँ की सरकार की, इसलिए दोनों को बीच का रास्ता अख्तियार करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. नागालैण्ड की विद्रोह समस्या का संक्षिप्त परिचय देने के साथ-साथ बताएँ कि राज्य में वृहद शांति समझौते हेतु किस प्रकार की चुनौतियाँ व्याप्त हैं?

02 स्वायत्त निकायों को सुदृढ़ बनाने की जरूरत

चर्चा का कारण

- केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, हथकरघा बोर्ड और पावरलूम बोर्ड को सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण के अनुरूप समाप्त कर दिया। मंत्रालय ने आठ वस्त्र अनुसंधान संघों को पहले से संबद्ध निकायों 'स्वीकृत निकायों' में बदल दिया। तत्पश्चात, सरकार ने इन कपड़ा संघों के शासी निकायों से कपड़ा मंत्रालय के अधिकारियों को भी हटा दिया।

पृष्ठभूमि

- स्वायत्त निकायों में एक निर्धारित प्रशासनिक ढाँचे के बावजूद, शासन के कई मुद्दों की समीक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। 2016 के केंद्रीय बजट भाषण में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि विभिन्न मंत्रालयों में मानव संसाधनों के युक्तिकरण के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा और युक्तिकरण पर भी विचार करन कि बात की थी।
- इस संदर्भ में कपड़ा मंत्रालय द्वारा लिए गए ये कदम कम सरकारी हस्तक्षेप वाले तंत्र को प्राप्त करने एवं सरकारी निकायों के व्यवस्थित युक्तिकरण की शुरुआत करने के लिये साहसिक कदम है।

स्वायत्त निकाय

- स्वायत्त निकायों की स्थापना तब की जाती है जब यह महसूस किया जाता है कि कुछ कार्यों को सरकारी तंत्र के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता एवं कुछ लचीलेपन के साथ किये जाने की आवश्यकता है तब स्वायत्त निकायों की स्थापना की जाती है।
- इन्हें मंत्रालय/ विभागों द्वारा संबंधित विषय के साथ स्थापित किया जाता है और अनुदान या सहायता के माध्यम से या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, वित्त पोषित किया जाता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसे संस्थान अपने स्वयं के आधार पर कितने आंतरिक संसाधन जुटाते हैं।

- स्वायत्त निकाय ज्यादातर सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं और कुछ मामलों में उन्हें विभिन्न अधिनियमों में निहित प्रावधानों के तहत वैधानिक संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है।
- अधिकांश स्वायत्त निकाय अनुदान-सहायता (जीआईए) के माध्यम से केंद्र सरकार से धन प्राप्त करते हैं।
- स्वायत्त निकाय काफी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये, कृषि मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं।

स्वायत्त निकायों की कार्यप्रणाली

- स्वायत्त निकाय सरकार के कामकाज में एक प्रमुख हितधारक हैं क्योंकि वे विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं, नीतियों के लिए रूपरेखा तैयार करने से लेकर, अनुसंधान आयोजित करने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तक ,जिसमें तकनीकी, चिकित्सा और उच्च शिक्षा आदि प्रदान करने वाले संस्थान इस श्रेणी में आते हैं।
- इसके अलावा, स्वायत्त निकायों के पास नामित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ क्रय समिति, कार्य समिति, वित्त समिति जैसी विशिष्ट समितियाँ हैं। स्वायत निकायों के शीर्ष प्रशासनिक निकाय को गवर्निंग काउंसिल या गवर्निंग बॉडी कहा जाता है और इसकी अध्यक्षता संबंधित मंत्रालय के मंत्री या सचिव करते हैं।
- स्वायत्त निकायों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट किया जाता है, और हर साल संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

स्वायत निकायों सम्बंधित समस्याएं

- इन निकायों में एक निर्धारित प्रशासनिक ढाँचे के बावजूद, कई शासन सम्बंधित मुद्दे हैं जिनकी समीक्षा की आवश्यकता है।
- सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विपरीत, जिनमें भर्ती नियम एक समान होते हैं और भर्ती एक केंद्रीकृत निकाय द्वारा की जाती है जैसे कि कर्मचारी चयन आयोग (SSC), संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)। स्वायत्त निकायों में नियुक्तियों के लिये ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है।
- परिणामस्वरूप इन निकायों में से प्रत्येक निकाय की नियुक्ति के नियम एवं नियुक्ति

प्रक्रियाएँ अलग-अलग होती हैं, कभी-कभी समान मंत्रालय के तहत अलग स्वायत्त निकायों के नियुक्ति के नियम अलग-अलग होते हैं।

- इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को स्वायत्त निकायों की समितियों की बैठकों में उपस्थित होना आवश्यक होता है, लेकिन उनमें से अधिकतर अपनी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं होते हैं।
- वे कनिष्ठ अधिकारियों को नामित करते हैं जिनके पास बैठकों के दौरान सार्थक निर्णय लेने के लिये अकसर अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है।
- जहां तक ऑडिट का संबंध है, कुछ स्वायत्त निकाय कैग द्वारा ऑडिट किए जाते हैं जबकि कई चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किए जाते हैं।

सुधार सम्बंधित सुझाव

- उपर्युक्त समस्याओं को देखते हुए स्वायत निकायों के शासन की समीक्षा करने और समान प्रक्रियाओं को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है। सबसे पहले एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाना चाहिए, जो कि इन निकायों के काम करने की सीमाओं, इसकी स्वायत्तता और विभिन्न नीतियों को परिभाषित करता हो तथा जिनका पालन करना चाहिए।
- यह स्वायत्त निकायों की संख्या पता करने में मदद करेगा।
- प्रत्येक मंत्रालय को अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले स्वायत्त निकायों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता होगी।
- स्वायत्त निकायों को उन्हें बंद करने या किसी समान संगठन के साथ विलय करने की आवश्यकता हो सकती है या उनके अधिदेश को नये चार्टर के अनुसार बदल जा सकता है। इसके लिए पारदर्शी नियम होने चाहिए।
- इसके अलावा नीतियों में एकरूपता लाने के लिए, भर्ती नियमों, वेतन संरचना, भत्ता और कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों और भर्ती के तरीके को कारगर बनाने के लिए एक कार्यबल को एक अखिल भारतीय एजेंसी जैसे SSC या UPSC के अधीन स्थापित करने की आवश्यकता है।
- साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, समान निकायो की समिति की बैठकें एक साथ आयोजित की जानी चाहिए ताकि उपयुक्त अधिकारी सार्थक सुझाव दे सकें।
- स्वायत्त निकायों की बैठकों में केवल महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को ही उठाया जाना चाहिए, जिसमें मंत्रालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा स्वायत्त निकाय का एक बार परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाना चाहिए। कैग ने 2016 में स्वायत्त वैज्ञानिक निकायों का एक संपूर्ण प्रदर्शन ऑडिट (परफोर्मेंस ऑडिट) किया था, जिसमें उनके प्रदर्शन में कमी को उजागर किया गया था। इस तरह की थीम आधारित ऑडिट अन्य स्वायत निकायों के लिए भी किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- स्वायत निकायों को करदाताओं के पैसे से वित्त पोषित किया जाता है, अतः उन्हें सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए और अन्य सरकारी विभागों कि तरह जवाबदेह होना चाहिए। हालाँकि उन्हें स्वायत्त होने के नाते अपनी वित्तीय और प्रशासनिक नीतियां बनाने का भी अधिकार है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. वर्तमान समय में स्वायत्त निकायों की प्रासंगिकता का परीक्षण करें।

03 चीन का 'हाइब्रिड वारफेयर' और उससे संबंधित चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, चीन लगातार कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। चीन कुछ कंपनियों के द्वारा भारत में जासूसी करवा रहा है, चाइनीज कंपनी शेनजेन भारत में करीब दस हजार लोगों की निगरानी कर रही है। इस कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है। इस चीनी कंपनी की करीब दस हजार भारतीयों पर नजर है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर एक मेयर तक शामिल है।

परिचय

- झेनझुआ डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की ओर से जिन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है, उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गांधी परिवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक जैसे बड़े नेता, राजनाथ सिंह-पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री, CDS बिपिन रावत समेत कई बड़े सेना के अफसर शामिल हैं।
- अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार चीनी कंपनियां इन सभी हस्तियों की डिजिटल जिंदगी को फॉलो कर रही है, साथ ही ये लोग, इनके परिजन और समर्थक कैसे काम करते हैं इस पर भी नजर रखी जा रही है। चीनी कंपनी इन सभी लोगों का रियल टाइम डेटा कलेक्ट कर रही है, जो कि चीनी सरकार के साथ साझा किया जाता है. जिनमें बड़े नेताओं, खिलाड़ियों, बिजनेसमैन, पत्रकारों के रिश्तेदारों की भी लिस्ट है, जिनपर नजर रखी जा रही है।
- इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि इस पूरी जांच के लिए शेनजान इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म ने चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ओवरसीज का इन्फॉर्मेशन डाटा बेस बनाया है, जिसके तहत इस मिशन का पूरा काम होता है। कंपनी की ओर से कलेक्ट किए जा रहे इस डाटा को चीनी कंपनियां हाइब्रेड वॉर का नाम देती हैं, जो किसी के बारे में जानकारी जुटाने को मिशन बना देती हैं। एक तरफ जहां चीन LAC पर भारत में घुसपैठ कर युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा है, दूसरी ओर इस तरह बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक पर नजर बनाए हुए है। अपनी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि नेताओं के अलावा सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल, सोनल मानसिंह, राधे मां जैसी हस्तियों पर भी चीन की नजर है।
- अभी हाल ही में भारत से एक चीनी नागरिक भी गिरफ्तार हुआ था, जो भारत में रहकर हवाला का काम करने के अलावा कुछ जरूरी जानकारी भी अपने देश में वापस भेजता था। ऐसे में बॉर्डर से लेकर डिजिटल दुनिया तक और जमीनी स्तर पर चीन कई तरह के जाल बिछाने में लगा हुआ है। कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने डेटा चोरी और सुरक्षा में खतरे को देखते हुए करीब सौ से अधिक चीनी मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया था, जो इस तरह का डेटा कलेक्ट करती थीं।
- इस संदर्भ में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के तहत एक "विशेषज्ञ समिति" स्थापित करने का निर्णय लिया।

भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता

- पिछले एक दशक में इंटरनेट प्रौद्योगिकी, सस्ते फोन और सस्ते डाटा के तेजी से विकास ने शहरी और ग्रामीण भारतीयों के जीवन को ऐसे तरीकों से बदल दिया है जो अब अपरिवर्तनीय लगते हैं। स्मार्टफोन सर्वव्यापी बनने के साथ, प्रौद्योगिकी सुगमता में सुधार कर रहे हैं, और संभवतः दुनिया में सबसे सस्ता डेटा (6.5 रुपये प्रति जीबी) उपलब्ध करा रहे हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर जोर, और नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण ने, मोबाइल फोन को लगभग एक केवाईसी डिवाइस में बदल दिया है जो व्यक्ति और उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। देखा जाये तो आधार प्रमाणीकरण मोबाइल फोन द्वारा सुविधाजनक है साथ ही बैंक खातों के बीच धनराशि का तत्काल हस्तांतरण UPI के माध्यम से हो रहा है।
- अब, इस साल अप्रैल-जून के दौरान भारत में बिकने वाले चार में से तीन स्मार्टफोन चीनी ब्रांड थे; पिछली तिमाही में, बिकने वाले पांच में से चार फोन चीनी थे। ज्यादातर फोन फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पहले से इंस्टॉल आते हैं।

- भारत ने 224 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें TikTok, CamScanner और PUBG शामिल हैं। भारत और अमेरिका सहित कई देशों का मानना है कि हुआवेई और जेडटीई जैसी कंपनियां व्यक्तिगत डेटा से समझौता कर चीनी सर्वर को डाटा सौंप सकती हैं। हालांकि बीजिंग इस बात से इनकार करता है, लेकिन कई देशों को संदेह है कि मुखर एवं महत्वाकांक्षी चीन की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- झेनहुआ डेटा (hZenhua Data) ने लगभग एक दर्जन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, और कई अन्य ऑनलाइन स्रोतों से व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त किया है। लेकिन प्रोसेसिंग क्षमता में बिग डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास ने प्रतिमान को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक बार कानून बन जाने के बाद, निजी सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए ट्विटर या फेसबुक, जो डेटा के प्राथमिक संग्राहक हैं, की जिम्मेदारी तय होगी।

क्या है जेनहुआ डेटा का काम?

- चीन की यह टेक्नॉलजी कंपनी राजनीति, सरकार, कारोबार, प्रौद्योगिकी, मीडिया और सिविल सोसायटी को टारगेट करती है। चीनी इंटेलिजेंस, मिलिट्री और सिक्यॉरिटी एजेंसियों के साथ काम करने का दावा करने वाली कंपनी जेनहुआ सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल माध्यमों से डेटा जुटाती है और इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी तैयार करती है, जिनमें ना केवल न्यूज सोर्स, बल्कि फोरम, पेपर, पेटेंट, बिडिंग डॉक्युमेंट्स और यहां तक की रिक्रूटमेंट का कॉंटेंट शामिल होता है। कंपनी एक 'रिलेशनल डेटाबेस' तैयार करती है, जो व्यक्तियों, संस्थाओं और सूचनाओं के बीच संबंधों को रिकॉर्ड करती है व्याख्या करती है। दरअसल डेटा नहीं बल्कि इसके रेंज और इस्तेमाल को लेकर चिंता है। जेनहुआ की ओर से टारगेट व्यक्तियों और संस्थाओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स से सभी जानकारियां एकत्रित कर ली जाती हैं। दोस्तों और संबंधियों पर भी नजर रखी जाती है। किसने क्या पोस्ट किया, उस पर किसने लाइक किया, क्या कॉमेंट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह तक जानकारी जुटाई जाती है कि कौन कहां जा रहा है।
- घरेलू सुरक्षा एजेंसियां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की डेटा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन विदेशी ताकतें इस डेटा का कई उद्देश्यों से इस्तेमाल कर सकती हैं। जानबूझकर सामरिक पैंतरेबाजी के लिए व्यापक रूप से सहज ज्ञान युक्त जानकारी को एक व्यापक ढांचे में एक साथ रखा जा सकता है। छोटी और अहितकर समझी जाने वाली जानकारियों को एकत्रित करके भी सामरिक छल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जासूसी करने वाली कंपनी जेनहुआ खुद इसे हाईब्रिड वारफेयर बताती है।

क्या है हाईब्रिड वारफेयर?

- 1999 की शुरुआत में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अप्रतिबंधित युद्ध के रूप में हाइब्रिड वॉरफेयर की रूपरेखा तैयार की, जिसने सैन्य युद्ध को राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से बदल दिया। इस युद्ध में नए हथियार आम लोगों के जीवन से जुड़े हुए थे। वास्तव में देश के भीतर राजनीतिक पार्टियां भी विपक्ष को टारगेट करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। हाइब्रिड वॉर वास्तव में छद्म युद्ध है। इस युद्ध में बम, बंदूक का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि इसमें दुश्मन को साइबर और मनोवैज्ञानिक दांवपेंच से हराया जाता है। इसके तहत जनता की सोच को बदला जाता है। अफवाहें और फेक न्यूज के जरिए अपने मंसूबों को पूरा किया जाता है। डेटा चोरी के जरिए इसे और अधिक आसानी से अंजाम दिया जा सकता है।

जेनहुआ की जासूसी को लेकर क्या है चिंता?

- चीन सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका और यूरोप में संवेदनशील, सैन्य, खुफिया या आर्थिक जानकारियां जुटा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा वॉर का जमाना है। हम जब डेटा को टुकड़ों में देखते हैं तो नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इससे कोई क्या हासिल कर सकता है? लेकिन इन्हीं छोटी-छोटी जानकारियों को एक साथ जुटाकर और उनका किसी खास मकसद से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के आतंरिक मुद्दों, राष्ट्रीय नीति, सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था सबसे में सेंधमारी के प्रयास किए जा सकते हैं।

आगे की राह

- विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार द्वारा नागरिकों को साइबर सुरक्षा पर शिक्षित करना चाहिए। मोबाइल फोन एक डेटा डिवाइस बनने के साथ लगभग सभी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत करता है। भारत में प्रमुख व्यक्तियों को सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने या प्लेटफार्मों को ट्रैक करने की अनुमति देने के बारे में सतर्क रहना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि चीन द्वारा भारत की छोटी-छोटी जानकारियों को एक साथ जुटाकर और उनका किसी खास मकसद से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये।

04 कृषि में नवीनतम सुधार और उसका विवादित पक्ष

चर्चा का कारण

- देश में कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य के लिए उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, "कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020" व आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 संसद से पारित हो गए हैं। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु घोषित अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करेंगे। इस कानून के विरोध में उतरे किसानों का कहना है कि ये कानून मंडी समिति की मौजूदा व्यवस्था के तहत उन्हें हासिल संरक्षण को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कानून की शक्ल देने के बजाय वापस ले लिया जाना चाहिए।

कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) के मुख्य प्रावधान

- किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें।
- राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करना।
- परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना।
- ई-ट्रेडिंग के जरिये किसानों को उपज बिक्री के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना।
- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्मगेट, कोल्डस्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता।

- किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध, ताकि बिचौलिये दूर हों।

किसानों और व्यापारियों की आशंकाएं

- न्यूनतम मूल्य समर्थन (एमएसपी) प्रणाली समाप्त हो जाएगी।
- कृषक यदि पंजीकृत कृषि उत्पाद बाजार समिति-मंडियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी।
- ई-नाम जैसे सरकारी ई ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?

समाधान

- एमसपी पूर्व की तरह जारी रहेगी, एमएसपी पर किसान अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे। रबी की एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी।
- मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।
- मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी।
- इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। पारदर्शिता के साथ समय की बचत होगी।

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020

- इसमें कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उपज के दाम निर्धारित कराएगा। बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन तथा दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।
- यह बाजार की अनिश्चितता से कृषकों को बचाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
- किसानों तक अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद-बीज पहुंचायी जाएगी।
- विपणन की लागत कम करके किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।

- किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर की जाएगी।
- कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

आशंकाएं

- अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा, वे कीमत निर्धारित नहीं कर पाएंगे।
- छोटे किसान कैसे कांट्रेक्ट फामिंर्ग कर पाएंगे, प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं।
- किसान इस नए सिस्टम से परेशान होगा।
- विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा।

समाधान

- किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेचेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा।
- देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे।
- अनुबंध के बाद किसान को व्यापारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। खरीदार उपभोक्ता उसके खेत से ही उपज लेकर जा सकेगा।
- विवाद की स्थिति में कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने की आवश्यक्ता नहीं होगी. स्थानीय स्तर पर ही विवाद के निपटाने की व्यवस्था रहेगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक -2020 के मुख्य प्रावधान

- अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना।
- अपवाद की स्थिति, जिसमें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है, को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी।
- इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी।
- देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा।

आशंकाएं

- बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेगी एवं उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा।
- कालाबाजारी बढ़ सकती है।

समाधान

- निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा।
- कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा।
- फसल खराब होने की आंशका से किसान दूर होगा। वह आलू-प्याज जैसी फसलें ज्यादा निश्चितता से उगा पाएगा।
- एक सीमा से ज्यादा कीमते बढ़ने पर सरकार के पास पूर्व की तरह नियंत्रण की सभी शक्तियां मौजूद।
- इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

किसानों के हितों का संरक्षण कैसे

- देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाजारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर, अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वाहन क्षमता के अनुरूप पर्याप्त वजन न होने व बातचीत क्षमता की कमी के कारण किसानों को परिवहन लागत के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। ऐसी कठिनाइयों से किसानों को बचाते हुए अब खेत से उपज की गुणवत्ता जांच, ग्रेडिंग, बैगिंग व परिवहन की सुविधा मिल सकेगी।
- किसी भी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए किसानों को उनकी उपज के गुणवत्ता आधारित मूल्य के रूप में अनुबंधित भुगतान किया जाता है। कृषि उपज के लिए करारों को बढ़ावा देने से इनकी उच्च गुणवत्ता तथा निर्धारित आमदनी की प्रक्रिया मजबूत होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न चरणों में कृषि को जोखिम से बचाना है। ये करार उच्च मूल्य वाली कृषि उपज के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए उद्यमियों द्वारा निवेश को बढ़ाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार होंगे। कृषि समझौते के तहत विवाद होने पर सुलह व विवाद निपटान तंत्र भी काम करेगा।

विश्लेषण

- पंजाब और हरियाणा में किसान संगठनों ने इस एक्ट का विरोध किया है। विरोध के और बढ़ने की आशंका है। इस संशोधन से किसानों का अहित होने, जमाखोरी बढ़ने की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। जमाखोर, कृषि उत्पाद को सस्ते दाम पर किसान से खरीद कर होल्ड कर लेता है। यह अधिकतर आढ़तियों व ग्रामीण सूदखोरों की आपसी दुरभिसंधियों के कारण होता है।
- राज्य सरकारों, कलेक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी गेहूं की सरकारी खरीद मुख्यत: आढ़तियों से ही होती रही है। आढ़तिया निश्चिंत था कि किसान बेचेगा, तो आढ़तियों को ही। वरना और कहां जाएगा? लेकिन इस अध्यादेश के बाद अब किसान की उपज के खरीदार बढ़ जाएंगे। अब बड़ी कंपनियां उपज की खरीद की लाइन में आ जाएगी। पहली बार बाजार में आढ़तियों का एकाधिकार जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, टूटने जा रहा है। उत्तर भारत में अब सहकारिता के असफल कर दिए गए प्रयोग को पुनर्जीवित करना आवश्यक हो गया है।
- महाराष्ट्र व गुजरात के समान शेष भारत के किसान सहकारिता की दिशा में चलें। यदि आलू, प्याज, खाद्यान्न, दलहनों के किसान अपनी उत्पादक सहकारी इकाइयां बिना सरकारी सहयोग के स्वयं गठित करने की पहल करें, तो कृषि-क्रांति के दिन दूर नहीं रह जाएंगे। ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र को सब्सिडी पर निर्भर असहाय क्षेत्र बताया जाने लगा है, यह सशक्त क्षेत्र बन कर खड़ा हो जाएगा।

- तीनों कानून अहम हैं और कृषि के क्षेत्र में ऐसे बदलाव लाने वाले हैं जिनकी लंबे समय से जरूरत बताई जाती रही है। लेकिन अगर इन बदलावों को लेकर किसान आशंकित दिख रहे हैं तो वह भी अकारण नहीं है। समझना होगा कि अपनी फसल कहीं भी और किसी को भी बेचने की आजादी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देती। जहां तक अनाज की खरीद और भंडारण पर से रोक हटाने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर बढ़ने का सवाल है तो ये दोनों चीजें अतीत के हमारे कड़वे अनुभवों से जुड़ी हैं।

आगे की राह

- एक देश, एक बाजार कृषि व कृषक को जनपदीय सीमाओं से मुक्ति का नारा है। यह मुक्ति शुभ है या किसी बड़े बंधन का संकेत, यह विचारणीय है। फिर भी हमारे किसानों की जनपद, प्रदेश से आगे की यह राष्ट्रीय भागीदारी स्वागत योग्य है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर देने व व्यवस्थित समन्वय के फलस्वरूप पिछले वर्ष की ग्रीष्मकालीन/जायद सीजन के 41.31 लाख हैक्टेयर बुवाई क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष बुवाई क्षेत्र बढ़कर 57.07 लाख हैक्टेयर हो गया। कोविड-19 से हमारे देश सहित पूरी दुनिया के समक्ष कड़ी चुनौतियां आई हैं, तथापि भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो हुई क्षति की रिकवरी के लिए देश की सहायता कर रहा है। यह सरकार का ''आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना'' तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- किसान विरोध कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो सकता है। इस आशंका को दूर करने के लिए कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने रबी की छह फसलों की नई एमएसपी जारी की है। बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों को सशक्त करेगा और उनकी आय दोगुनी करने में योगदान देगा। संसद में पारित कृषि सुधारों से संबंधी कानून के साथ-साथ बढ़ा हुआ एमएसपी किसानों की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

Topic:

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग- कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।

प्र. 'एक देश-एक बाजार' कृषि व कृषक को जनपदीय सीमाओं से मुक्ति का नारा है। यह मुक्ति वास्तविक है या किसी बड़े बंधन का संकेत। चर्चा कीजिए।

05 तालिबान–अफगानिस्तान शांतिवार्ता की नई पहल और भारत

चर्चा का कारण

- हाल ही में दोहा की राजधानी कतर में तालिबान और अफगान सरकार की शांति वार्ता की शुरुआत हो गई है। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्ष कठिन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इनमें स्थायी संघर्ष विराम की शर्तें ,महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार और हजारों की संख्या में तालिबान लड़ाकों का हथियार छोड़ना भी शामिल है।

परिचय

- तालिबान ने अफगानिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व के साथ वार्ता के लिए अपना एजेंडा तैयार करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को लेकर चल रही प्रकिया में इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोहा में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी औपचारिक बातचीत हो रही है। इससे पहले तालिबान अफगानिस्तान सरकार को शक्तिहीन और अमरीका की कठपुतली बताकर, उनसे मिलने से इनकार करता रहा था। अब दोनों ही पक्ष राजनीतिक सुलह और हिंसा के दशकों लंबे दौर का अंत चाहते हैं, जो वर्ष 1979 में सोवियत आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। कैदियों की अदला-बदली पर दोनों पक्षों के बीच महीनों चली रस्साकशी के बाद अब यह शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। दरअसल, तालिबान जिन कैदियों की रिहाई चाहता था, उनमें से अधिकांश के बारे में अफगान सरकार की यह राय रही कि वो अपने लोगों को मारने वालों को कैसे छोड़ सकते हैं।

शांति वार्ता के मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- अफगानिस्तान के कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार को तालिबान से बातचीत में धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर करनी चाहिए। लेकिन, तालिबान इन मसलों पर कट्टर नजरिया अपनाता आया है। वो शरिया लागू करने का पक्षधर रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों का मानना है कि कहीं इस वार्ता के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में बात जहाँ तक बढ़ी है, वो फिर से शून्य ना हो जाए।
- कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर तालिबान का नजरिया अभी बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। जैसे क्या तालिबान लोकतांत्रिक प्रणाली का समर्थन करेगा? तालिबान वार्ताकारों के पास इसका अभी कोई सीधा जवाब नहीं है।
- पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के आसपास कई तालिबानी हमले हुए। इससे अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान के हिंसा कम करने का वादा पूरा करने को लेकर चिंता बढ़ गई है। कुछ जानकारों का मानना है कि हिंसा जारी रखकर तालिबान शांति वार्ता में खुद को ऊपर रखना चाहता है। शांति को लेकर अस्पष्ट दृष्टिकोण के लिए तालिबान की आलोचना होती रही है क्योंकि तालिबान ने शांति वार्ता को देखते हुए संघर्ष विराम पर सहमति नहीं जताई।
- अमरीका-तालिबान समझौते में तय हुआ है कि अफगान सरकार बातचीत से पहले 5,000 तालिबानी कैदियों को रिहा करेगी, जिसके बदले में चरमपंथी अपनी कैद से सुरक्षाबलों के एक हजार सदस्यों को रिहा करेंगे। तालिबान चाहता है कि पूरे पांच हजार कैदियों को रिहा किया जाए और वो जो लिस्ट दे, रिहा किए जाने वालों में वही लोग हों। लेकिन अमरीका-तालिबान वार्ता का हिस्सा नहीं रही सरकार ने इसका विरोध किया।
- बातचीत के बीच, तालिबान अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव भी दे सकता है, जिसका वो भी हिस्सा होगा। हालांकि ये कैसे काम करेगी और ये मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व को कहां लेकर जाएगी, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है।

अमेरिकी सुरक्षा बलों की वापसी का मुद्दा

- अमरीका-तालिबान समझौते के मुताबिक, अगर तालिबान सरकार के साथ बातचीत शुरू करता है तो सभी अमरीकी सुरक्षाबल मई 2021 तक चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें

तो उनकी वापसी अफगान सरकार और तालिबान के बीच समझौते पर निर्भर है। आगामी चुनाव से पहले अमरीका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बार बार संकेत दिया है कि वो अमरीका सैनिकों को जल्द से जल्द वापस घर लाना चाहते हैं। वो पहले ही नवंबर तक संख्या को पांच हजार करने का वादा कर चुके हैं, जो 2001 के बाद से सबसे कम संख्या है।

भारत की चिंताएँ

- अफगानिस्तान को विकसित करने के लिए भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अफगानिस्तान को अब तक 3 अरब डॉलर से ज्यादा की सहायता दी है, जिससे वहां की संसद भवन, सड़कों और बांधों का निर्माण किया गया है। भारत अब भी 116 सामुदायिक विकास की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, पेयजल, रिन्यूएबल एनर्जी, खेल और प्रशासनिक ढांचे का निर्माण भी शामिल हैं। भारत काबुल के लिये शहतूत बांध और पेयजल परियोजना पर भी काम कर रहा है। 2016 के समझौते के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगान सीमा तक रेल चलाने की योजना है। भारत इस योजना को सफल बनाने में भी मदद करना चाहता है। ऐसे में यह शांति वार्ता विफल रहती है या उसके नतीजे भारत के अनुकूल नहीं रहते, तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
- तालिबान पाकिस्तान के करीब है और भारत-पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अमरीका और तालिबान के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान की भूमिका भी छुपी हुई नहीं है। तालिबान के अपनी स्थिति मजबूत करते ही तहरीक-ए-तालिबान या पाकिस्तानी तालिबान अधिक आक्रामक रास्ते पर चलने और एक बड़े वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा बनने को प्रेरित हो सकता है। ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का कारण बन सकता है, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में, जिसे पहले ही भारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवधानों का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान शांति समझौते का एक आयाम ये भी है कि इससे भारतीय उप महाद्वीप में इस्लामिक जिहादी समूहों को नई ताकत मिलेगी। वो नई ताकत से लैस होकर और हिंसक वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।
- भारत की एक बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका के बाहर निकलने से जो वैक्यूम पैदा होगा वह चीन द्वारा भरा जा सकता है। अफगान-सीमावर्ती झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में उइघुर कट्टरपंथियों के साथ तालिबान के लिंक से भारत चिंतित है कि बीजिंग इस लिंक से इस संवेदनशील क्षेत्र को बचाने के लिए पाकिस्तान से अपनी निकटता का उपयोग कर सकता है। इसने तालिबान के साथ संबंध बनाना भी शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- अफगान सरकार और तालिबान को अफगानिस्तान के भविष्य के लिये अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपने दृष्टिकोण में अधिक सर्वव्यापी होने की आवश्यकता है। चूंकि भारत ने अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है, इस संदर्भ में देखा जाये तो बदलती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते देखते हुए भारत को तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिये खुलेपन की नीति को अपनाना चाहिये।
- भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों ने अफगान नागरिकों के बीच भारत के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने अफगानिस्तान को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए अफगान लोगों में सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है। अफगान लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से प्रभावित हैं और अपने देश में भी भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एक निकटतम पड़ोसी के तौर पर भारत अफगानिस्तान सरकार और वहां के लोगों को एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सभी तरह की सहायता देना जारी रखेगा जिसमें अफगान समाज के सभी वर्गों के हित संरक्षित हों।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. अफगान सरकार और तालिबान के बीच वार्ता से स्थायी युद्ध विराम, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों जैसे मुद्दों को किस प्रकार संरक्षित किया जा सकता है ? चर्चा कीजिये ।

06 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना : एक परिचय

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana-PMMSY) का शुभारंभ किया गया।

परिचय

- गौरतलब है कि वर्ष 2022 तक किसानों कि आय को दोगुना करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है इसके लिए कृषि के अलग-अलग क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने की जरुरत को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन एवं मछली पालन की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसे पूरे देश में लागू किया गया है, इसे ब्ल्यू रेवोल्यूशन कहा गया है।
- योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालक, मछली बेचने वाले, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य उद्यमी, फिश फार्म आदि आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- यह मत्स्य क्षेत्र पर केन्द्रित और सतत विकास योजना है। इसे वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच साल की अवधि के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है।
- यह योजना समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों पर केंद्रित है।
- इस योजना में 'क्लस्टर अथवा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण' अपनाते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों का निर्माण किया जायेगा।
- इस योजना पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपये का निवेश होना है। यह निवेश मत्स्य क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे ज्यादा निवेश है।

- इस निवेश में से लगभग 12,340 करोड़ रुपये का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केन्द्रित गतिविधियों पर और 7,710 करोड़ रुपये का निवेश फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित है।

योजना का उद्देश्य

- मुख्य रूप से यह योजना आवश्यकतानुरूप निवेश को बढ़ाते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों के निर्माण पर केन्द्रित करेगी।
- इस योजना के जरिये नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को मजबूत करने का उद्देश्य है। जिसके जरिए कई नए हस्तक्षेपों की परिकल्पना भी की गई है जैसे मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने के जहाजों/नावों के उन्नयन के लिए मदद, बायो-टॉयलेट्स, लवण/क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, सागर मित्र, एफपीओ/सीएस, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड कोस्टल फिशिंग विलेज डेवलपमेंट, एक्वाटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं का विस्तार, पहचान सुविधा, प्रमाणन और मान्यता, आरएएस, बायोफ्लोक एंड केज कल्चर, ई-ट्रेडिंग/विपणन, मत्स्य प्रबंधन योजना इत्यादि शामिल हैं।
- इस योजना को मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता प्रौद्योगिकी, उपज के बाद के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, मूल्य निर्धारण श्रृंखला के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे और मछुआरों के कल्याण के रास्ते में आने वाली कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त योजना के अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं

- मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन वर्ष 2024-25 तक बढ़ाना।
- मछली निर्यात से आय 1,00,000 करोड़ रुपये वर्ष 2024-25 तक करना।
- मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना।
- पैदावार के बाद नुकसान 20-25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना तथा मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।

- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत अब तक मत्स्य विभाग ने पहले चरण में 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1723 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत आय सृजन गतिविधियों को प्राथमिकता दी गई है।

पीएमएमएसवाई योजना के शुभारंभ पर घोषित अन्य पहलें

ब्रुड बैंक और एक्वाटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में मछली ब्रुड बैंक (Fish Brood Bank) और किशनगंज में एक्वाटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की। इसके लिए (पीएमएमएसवाई) के तहत सहायता प्रदान की गई है।
- ये सुविधाएं मछली किसानों के लिए गुणवत्ता और सस्ती दर पर मछली बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करके मछली उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी और मछलियों के रोग निदान के साथ-साथ पानी और मिट्टी की परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को भी पूरा करेंगी।

फिश फीड मिल और फिश ऑन व्हील्स

- नीली क्रांति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की दो इकाइयों का उद्घाटन किया।

बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र मछली बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी और मछली के लिए नैदानिक परीक्षण की सुविधाओं के साथ मछली उत्पादन को बढ़ावा देने तथा मछली किसानों की क्षमता निर्माण में सहायता करेगा।

ई-गोपाला एप

- यह एप किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल है।
- निम्नलिखित पहलुओं जिसपर ये ऐप समाधान प्रदान करेगा इस प्रकार हैं:
- देश में पशुधन सभी रूपों (वीर्य, भ्रूण, आदि) में रोग मुक्त जीवाणु (जर्मप्लाज्म) खरीदना और बेचना।
- गुणवत्तापूर्ण प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता (कृत्रिम गर्भाधान, पशु प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण, उपचार इत्यादि)।
- पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन करना।
- उचित आयुर्वेदिक दवा/एथनो पशु चिकित्सा दवा का उपयोग करते हुए जानवरों का उपचार इत्यादि की जानकारी प्राप्त करवाना।
- पशु किसानों को अलर्ट भेजने जैसे टीकाकरण, गर्भावस्था निदान इत्यादि के लिए नियत तारीख पर या उन्हें क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में सूचित करना।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत स्थापित की गई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वीर्य केंद्र (सीमेन स्टेशन) का उद्घाटन भी किया।
- यह केंद्र बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 एकड़ भूमि पर 84.27 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया गया है।
- यह वीर्य केंद्र बिहार की स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण को भी नया आयाम देगा और इसके साथ ही पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों की वीर्य की मांग को पूरा करेगा।

आईवीएफ (IVF) लैब

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पटना स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आईवीएफ (IVF) लैब स्थापित की गई है। शत-प्रतिशत अनुदान सहायता के जरिए देश भर में कुल 30 ईटीटी और आईवीएफ लैब (प्रयोगशालाएं) स्थापित की जा रही हैं।
- ये लैब देशी नस्लों के बेहतरीन पशुओं का वंश बढ़ाने और इस प्रकार दूध उत्पादन एवं उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

कृत्रिम गर्भाधान में लिंग पृथक्कृत वीर्य

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार के बेगूसराय जिले में बरौनी मिल्क यूनियन द्वारा कृत्रिम गर्भाधान में लिंग पृथक्कृत वीर्य के उपयोग का भी शुभारंभ किया गया।
- 'एआई' में लिंग पृथक्कृत वीर्य के उपयोग के जरिए केवल मादा बछड़ों का ही जन्म सुनिश्चित किया जा सकता है (90% से भी अधिक सटीकता के साथ)। इससे देश में दूध उत्पादन की वृद्धि दर को दोगुना करने में मदद मिलेगी।

किसान के घर की चौखट पर आईवीएफ (IVF) तकनीक

- इसके तहत अत्यंत तेज दर से अधिक प्रजनन क्षमता वाली पशुओं की संख्या को कई गुना बढ़ाने की प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार होगा क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए वे एक वर्ष में 20 बछड़ों को जन्म दे सकती है।

आगे की राह

- कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्र भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अतः इन क्षेत्रों का सशक्तिकरण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उत्थान करेगा।
- इससे वर्ष 2022 तक न सिर्फ किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी बल्कि भारी संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के साथ-साथ यह भी बताएँ कि भारत में इस समय मत्स्य क्षेत्र किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है?

07 मिशन कर्मयोगी : लोक सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा "मिशन कर्मयोगी-राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम" (एनपीसीएससीबी) को अनुमोदित किया गया।

क्या है मिशन कर्मयोगी

- 'मिशन कर्मयोगी- राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम' (एनपीसीएससीबी) को सिविल सेवकों की क्षमता विकास के लिए आधारशिला रखने हेतु बनाया गया है ताकि वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से सराबोर रहें और विश्वभर की श्रेष्ठ पद्धतियों से सीखते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहें।
- इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि यह योजना केंद्र के मानव संसाधन विकास के व्यापक भर्ती के बाद के सुधार के रूप में है, जिस तरह से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा अनुमोदित पूर्व भर्ती सुधार था। यह कार्यक्रम नियम-आधारित से लेकर भूमिका-आधारित (rule to role) मानव संसाधन प्रबंधन को समर्थन करेगा, ताकि पद की आवश्यकताओं के अनुकूल एक अधिकारी की दक्षताओं का मिलान करके कार्य आवंटन किया जा सके।
- डोमेन ज्ञान प्रशिक्षण के अलावा, यह योजना "कार्यात्मक और व्यावहारिक दक्षताओं" पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक निगरानी ढांचा भी शामिल होगा।
- मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म (आईगॉट-कर्मयोगी) से अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारी कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत

- इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:
  - 'नियम आधारित' मानव संसाधन प्रबंधन से 'भूमिका आधारित' प्रबंधन के परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना। सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना।
  - 'ऑफ साइट सीखने की पद्धति' को बेहतर बनाते हुए 'ऑन साइट सीखने की पद्धति' पर बल देना।
  - शिक्षण सामग्री, संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना।
  - सिविल सेवा से संबंधित सभी पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों तथा दक्षता के ढांचे (Framework of Roles Activities and Competencies-FRAC) संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना और प्रत्येक सरकारी निकाय में चिन्हित एफआरएसी के लिए प्रासंगिक अधिगम विषय-वस्तु का सृजन करना और प्रदान करना।
  - सभी सिविल सेवकों को आत्म-प्रेरित एवं अधिदेशित सीखने की प्रक्रिया पद्धति में अपनी व्यवहारात्मक, कार्यात्मक और कार्यक्षेत्र से संबंधित दक्षताओं को निरंतर विकसित एवं सुदृढ़ करने का अवसर उपलब्ध कराना।
  - प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एकसमान परिवेश तंत्र के सृजन और साझाकरण के लिए अपने-अपने संसाधनों को सीधे तौर पर निवेश करने हेतु सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा उनके संगठनों को समर्थ बनाना।
  - सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्टार्ट-अप और एकल विशेषज्ञों सहित सीखने की प्रक्रिया संबंधी सर्वोत्तम विषय-वस्तु के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना और साझेदारी करना।
  - क्षमता विकास, विषय-वस्तु निर्माण, उपयोगकर्ता फीडबैक और दक्षताओं की मैपिंग एवं नीतिगत सुधारों के लिए क्षेत्रों की पहचान संबंधी विभिन्न-पक्षों के संबंध में आईगॉट-कर्मयोगी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना।

एनपीसीएससीबी का संस्थागत ढाँचा

- सिविल सेवाओं की क्षमता वास्तव में सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने और गवर्नेंस से जुड़े मुख्य कार्यों को पूरा करने में है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कार्य-संस्कृति में रूपांतरण को व्यवस्थित रूप से जोड़कर, सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर और सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरणकारी बदलाव किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया जा सके।
- एनपीसीएससीबी के अंतर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है-
  - प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद।
  - क्षमता विकास आयोग।
  - डिजिटल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म हेतु विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी)।
  - मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वयन एकक।
- इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चयनित केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रख्यात सार्वजनिक मानव संसाधन पेशेवरों, विचारकों, वैश्विक विचारकों और लोक सेवा प्रतिनिधियों वाली गठित एक सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करेगी जो सिविल सेवा-सुधार कार्य और क्षमता विकास को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करेगी।

आईगॉट- कर्मयोगी

- 'मिशन कर्मयोगी' कार्यक्रम को 'एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण- आईगॉट कर्मयोगी' प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा।

- 'आईगॉट- कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा।
- इस प्लेटफॉर्म के विषय-वस्तु (कंटेंट) के लिए एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है जहां सावधानीपूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ईलर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- क्षमता निर्माण, सेवा मामलों के अलावा, परिवीक्षा अवधि के बाद की पुष्टि, तैनाती, कार्य असाइनमेंट और रिक्तियों की अधिसूचना आदि के रूप में प्रस्तावित योग्यता के साथ अंत में एकीकृत किया जाएगा।

क्षमता विकास/निर्माण आयोग

- गौरतलब है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन कर्मयोगी के साथ अपने प्रदर्शन को सुधारने का अवसर देने हेतु क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना करना भी प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद को आवश्यक सुधारों को निर्देशित करने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक स्वायत्त क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना की जाएगी ताकि देश भर में सुधार प्रणाली और प्रशिक्षण मानकों का सामंजस्य स्थापित किया जा सके।
- प्रस्तावित क्षमता विकास आयोग के द्वारा सहयोगात्मक और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता विकास परिवेश या व्यवस्था के प्रबंधन और नियमन में एकसमान दृष्टिकोण को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

आयोग का कार्य

- वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं का अनुमोदन करने में पीएम सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना।
- सिविल सेवा क्षमता विकास से जुड़े सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना।
- आंतरिक एवं बाह्य संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा शिक्षण संसाधनों को सृजित करना।
- हितधारक विभागों के साथ क्षमता विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय और पर्यवेक्षण करना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, शिक्षण शास्त्र और पद्धति के मानकीकरण पर सिफारिशें पेश करना।
- सभी सिविल सेवाओं में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- सरकार को मानव संसाधन के प्रबंधन और क्षमता विकास के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत उपायों के बारे में सुझाव देना।

विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी)

- लगभग 46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किया जाएगा।
- इस व्यय को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की बहुपक्षीय सहायता द्वारा आंशिक रूप से वित्तपोषित गया है।
- इस संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन एनपीसीएससीबी के लिए पूर्णत स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना की जाएगी।
- एसपीवी एक 'गैर-लाभ अर्जक' कंपनी होगी जो आईगॉट- कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का स्वामित्व रखेगी और प्रबंधन करेगी।
- एसपीवी विषय-वस्तु बाजार का निर्माण और संचालन करेगी और यह विषय-वस्तु वैधीकरण, स्वतंत्र निरीक्षण आकलन एवं टेलीमिट्री डेटा उपलब्धता से संबंधित आईगॉट-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं का प्रबंधन करेगी।
- यह एसपीवी ही भारत सरकार की ओर से सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामित्व रखेगी।

निष्कर्ष

- 'मिशन-कर्मयोगी' का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे।
- मिशन कर्मयोगी का गठन न्यू इंडिया की दृष्टि से जुड़कर, सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करने के लिए किया गया है, यह सक्षम नेतृत्व क्षमता निर्माण पर आधारित है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. मिशन कर्मयोगी-राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के साथ-साथ यह भी बताएँ कि यह कार्यक्रम भारतीय गवर्नेंस को किस प्रकार से सशक्त कर सकता है?

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है। यह विधेयक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 में संशोधन करता है।

2. पृष्ठभूमि

- यह विधेयक व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति तथा उपयोगिता को नियंत्रित करता है।
- विदेशी योगदान से तात्पर्य किसी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा, सुरक्षा या लेख (निर्दिष्ट मूल्य से परे) का दान या हस्तांतरण है।

3. संशोधन के मुख्य प्रावधान

- संशोधन अधिनियम के द्वारा , कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है। जिसमें चुनावी उम्मीदवार ,समाचार पत्रों के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी भी विधायिका के सदस्य, तथा राजनीतिक दल सम्मिलित हैं।
- अधिनियम के तहत, विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए पंजीकृत नहीं किया जाता है।
- यदि व्यक्ति प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत नहीं है तो उसे केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। अधिनियम के तहत प्राप्तकर्त्ता शब्द में एक व्यक्ति, एक एसोसिएशन या एक पंजीकृत कंपनी शामिल है।
- अधिनियम में कहा गया है कि पंजीकृत होने या अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी भी व्यक्ति को पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, किसी संस्था को अपने पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख अधिकारियों की आधार संख्या प्रदान करनी होगी ।
- विदेशी निकाय होने की स्थिति में उन्हें पहचान के लिए पासपोर्ट या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की एक प्रति प्रदान करनी होगी।
- अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति को केवल उनके द्वारा निर्दिष्ट एक निर्धारित बैंक की एक शाखा में विदेशी योगदान को स्वीकार करना होगा।
- विदेशी योगदान के अलावा कोई धन इस खाते में प्राप्त या जमा नहीं किया जाना चाहिए।
- यदि किसी व्यक्ति ने (जिसने विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त की हो) नियमों का उलंघन किया हो तो केंद्र सरकार उनके पंजीकरण को रद्द करने की क्षमता रखती है।
- अधिनियम के तहत, हर व्यक्ति को, जिसे पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है, पंजीकरण समाप्ति के छह महीने के भीतर प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करना होगा।
- अधिनियम के तहत, सरकार किसी व्यक्ति के पंजीकरण को 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है। इस तरह के निलंबन को अतिरिक्त 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

4. निष्कर्ष

- यह सत्य है कि कई संस्थान विदेशी धन प्राप्त कर सरकार पर दबाव समूह का कार्य कर रहे थे जिन्हे नियंत्रित करना आवश्यक है, किन्तु राजनैतिक दुश्मनी इसका आधार नहीं हो सकती। जनादेश प्राप्त सरकार की मंशा पर सभी को विश्वास रखना होगा।
- परन्तु सरकार के लिए भी आवश्यक है कि वह विभिन्न हितधारकों के पास विधेयक के प्रावधानों को भेजकर उचित संशोधन की मांग करे तथा इसे पब्लिक फोरम पर रखा जाए, जिससे लोकतंत्र के तत्वार्थ की प्राप्ति हो सके।

02 काकतीय राजवंश

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में आंध्र प्रदेश के धारानिकोटा (Dharanikota) में 'काकती देवी' मंदिर (जो काकतीय राजवंश के शासक गणपति देव द्वारा निर्मित किया गया था), को स्थानीय देवी बालूसुलाम्मा अर्थात् देवी दुर्गा के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है।

2. काकती देवी

- 13वीं शताब्दी में गणपति देव पहले राजा थे, जिन्होंने आंध्र के तटीय क्षेत्र तथा अपने राज्य की सीमा के बाहर काकती देवी की पूजा की शुरुआत की, जो काकतीय शासकों की कुलदेवी थी।
- समय बीतने के साथ, जब संरक्षक विलुप्त हो गए, तो मंदिर उपेक्षित और असत्यापित हो गया, मूर्ति भी गर्भगृह में अपने मूल स्थान से लुढ़क गई और विकृत हो गई।
- वर्तमान में, मूर्ति को मंदिर के दक्षिणी तरफ एक छोटे से आश्रय में रखा गया है, जिसे स्थानीय रूप से गोलभामा गुड़ी के नाम से जाना जाता है।

3. काकतीय राजवंश

- काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं -14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। काकतीय वंश के राजाओं का शासन आधुनिक समय के प्रसिद्ध शहर हैदराबाद के पूर्वी भाग तेलंगाना में था।
- कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामन्तों के रूप में अपने राज्य का शासन करते थे।
- चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने काकतीय राजवंश की स्थापना की थी।

4. राज्य विस्तार

- रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया था। रुद्र प्रथम के बाद महादेव व गणपति शासक बने। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य व साहसी राजाओं में से एक था। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया।
- गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया था। उसने विभिन्न बाधक तटकरों को समाप्त कर दिया। मोरपल्ली (आंध्र प्रदेश) उसके काल का प्रमुख बंदरगाह था।
- प्रतापरुद्र प्रथम, जिसे काकतीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल के दौरान काकतीयों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसने 1195 ई. तक राज्य पर शासन किया।
- काकतीयों ने अपनी पहली राजधानी हनुमानकोंडा बनायी, बाद में इन्होने अपनी राजधानी ओरुगलु/ वारंगल में स्थांतरित कर ली।
- इनके शासनकाल के दौरान, जाति व्यवस्था अधिक कठोर या जटिल नहीं थी, क्योंकि सामाजिक रूप से इसे बहुत महत्व नहीं दिया गया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को अपनाने के लिए स्वतंत्र था।
- 1323 ई. में वारंगल पर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा विजय प्राप्त करने के पश्चात काकतीय राजवंश समाप्त हो गया।

5. वास्तुकला

- काकतीय राजवंश ने साहित्य, कला और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया।
- काकतीय राजवंश में रुद्रमादेवी के शासनकाल के दौरान महान इतालवी यात्री मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य का भ्रमण किया और उनकी प्रशासनिक शैली की विस्तृत रूप से प्रशंसनीय वर्णन किया।
- 12वीं शताब्दी में रूद्रमादेवी के पिता द्वारा प्रतिष्ठित काकतीय तोरण का निर्माण करवाया गया था जो वर्तमान में तेलंगाना का प्रतीक चिंह भी है। इस अलंकृत तोरण के बारे में कहा जाता है कि सांची स्तूप के प्रवेश द्वार के समान हैं।
- गौरतलब है कि प्रतापरुद्र प्रथम के शासनकाल के दौरान ही शिलालेखों में तेलुगु भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया गया।
- गणपति देव द्वारा वारंगल में दर्शनीय पाखल झील का निर्माण किया गया था।
- इसके अलावा कोहिनूर हीरा के खनन का श्रेय भी काकतीय राजवंश को जाता है और वे इसके पहली स्वामी थे।
- वारंगल में काकतीय शासनकाल के दौरान निर्मित 1000 स्तंभ वाला मंदिर काकतीय वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है।

03 राज्यसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्ष द्वारा उप-राष्ट्रपति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है।

2. पृष्ठभूमि

- विपक्षी दलों द्वारा उप सभापति पर यथोचित मतदान के लिए सभी मांगों को दरकिनार करते हुए कृषि क्षेत्र के विधेयकों को जल्दबाजी में पारित करने की कोशिश में संसदीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।
- इसी संदर्भ में कृषि सुधार विधेयकों पर चर्चा के दौरान हंगामा करने के लिए आठ विपक्षी सदस्यों को राज्यसभा से एक सप्ताह के लिए निलंबित भी कर दिया गया था।
- संसद में राज्य सभा उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पहला मामला है।

3. विपक्ष का तर्क

- विपक्षी दलों का यह कहना है, कि उपसभापति ने पॉइंट्स ऑफ आर्डर (points of order) को उठाने की अनुमति नहीं दी और विभिन्न राजनीतिक दलों से लेकर राज्य सभा के सदस्यों की बड़ी संख्या को कृषि विधेयकों के खिलाफ भी बोलने की अनुमति तक नहीं दी।
- उनका मानना है कि राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उनके रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। अतः उपसभापति के इस रवैये को देखते हुए विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया था।

4. संसद की कार्य की प्रक्रिया और आचरण संचालन नियम

- **नियम 256:** इसके अंतर्गत सदस्य के निलंबन का निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या परिषद के नियमों का उल्लंघन करता है।
- **नियम 258:** राज्यसभा में कार्य के संचालन और आचरण के नियमों का प्रावधान करता है, जिससे सदस्य को पॉइंट्स ऑफ आर्डर (points of order) उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

5. प्वाइंट ऑफ ऑर्डर

- प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सदन की प्रक्रिया एवं कार्यवाही के नियमों की व्याख्या या प्रवर्तन या संविधान की ऐसी परंपरा या अनुच्छेद से संबंधित है जो सदन की कार्यवाही को विनियमित करे और ऐसे प्रश्न उठाए जो स्पीकर के संज्ञान में हो।
- प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही उठाया जा सकता है।
- इसके अलावा एक कार्य के समाप्त होने और दूसरे के शुरू होने से पहले जो समय मिलता है, उसमें भी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर को उठाया जा सकता है, लेकिन किसी सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है या नहीं, इस बारे में स्पीकर का फैसला अंतिम माना जाता है।

6. उप-सभापति

- भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य सभा के उप सभापति का पद काफी महत्वपूर्ण होता है।
- राज्य सभा में सभापति की गैरमौजूदगी में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के साथ ही सदन की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी उप सभापति की ही होती है।
- उप सभापति का पद केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वह सभापति के गैरमौजूदगी में उनका काम करता है बल्कि वह सदन के संचालन को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उप सभापति का चुनाव राज्य सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

04 गैर–कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को सूचित किया कि देश में 2016, 2017 और 2018 में आतंकवाद विरोधी कानून, "गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम" (UAPA) के तहत कुल 3,005 मामले दर्ज किए गए और 3,974 लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक (NCRB) केंद्रीय एजेंसी है जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराधों पर डेटा संकलन करती है तथा भारत में अपराध के संदर्भ में वार्षिक प्रकाशन करती है।

2. गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम

- गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट, 1967 का उद्देश्य भारत विरोधी (भारत और विदेशी जमीन पर) गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना है। अर्थात यह एक्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराता है।
- यह कानून कुछ संवैधानिक अधिकारों पर 'उचित' प्रतिबंध लगाता है, जैसे: भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार तथा एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार इत्यादि।
- गैरकानूनी गतिविधि में व्यक्ति या संघ द्वारा किये गए निम्न कार्यों/गतिविधियों को शामिल किया गया है जैसे; शब्दों के द्वारा, लिखित, कार्यों के द्वारा, संकेतों द्वारा, भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने या तोड़ने का कोई भी प्रयास।
- इसके अंतर्गत अधिकतम दंड के रूप में मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

3. इस अधिनियम का विस्तार और अनुप्रयोग

- यह कानून पूरे देश में लागू है।
- UAPA के तहत आरोपित कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक इस अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है, भले ही अपराध किसी भी जगह पर किया गया हो।
- इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं।
- यदि कोई पानी का जहाज और एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है, तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो, उन पर यह कानून लागू होता है।

4. आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार

- इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है, अगर वह:
  - आतंकवाद को बढ़ावा देता है,
  - अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है,
  - आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है,
  - आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है,
- यह अधिनियम , सरकार को अधिकार देता है कि वह समान आधार पर व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।
- यह अधिनियम, भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से के कब्जे या संघ से भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के अलगाव को भी प्रतिबंधित करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों का समूह, भारत के किसी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है या उसको भारत से अलग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाही इसी एक्ट के प्रावधान के तहत की जाएगी।
- गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन, एनआईए को एक यह अधिकार देगा कि वह एक व्यक्ति को केवल आतंकी या आतंकियों से सम्बन्ध रखने की आशंका में गिरफ्तार कर ले।
- वर्तमान में केवल संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, लेकिन UAPA, 1967 में बदलाव के बाद, एक 'व्यक्ति' को संदिग्ध आतंकवादी भी कहा जा सकता है।

05 बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक–2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में संसद ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिये 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। इसमें बैंकों के लाइंलेंस, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। यह बैंकों के कामकाज का विनियमन करता है।

2. विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- सहकारी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के कई प्रावधानों से छूट है। बिल इनमें से कुछ प्रावधानों को सहकारी बैंकों पर लागू करता है और उन्हें एक्ट के उन रेगुलेशंस के अंतर्गत लाता है जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं।
- सहकारी बैंक आरबीआई की पूर्व मंजूरी से पब्लिक से इक्विटी या अनसिक्योर्ड डेट कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं।
- आरबीआई सहकारी बैंकों के चेयरपर्सन के रोजगार की शर्तों और क्वालिफिकेशन को निर्दिष्ट कर सकता है। आरबीआई ऐसे चेयरपर्सन को हटा सकता है जोकि 'फिट और उचित' के मानदंड पर खरा न उतरे और उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। वह क्वालिफाइड सदस्यों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) के पुनर्गठन के निर्देश दे सकता है।
- आरबीआई राज्य सरकार की सलाह से किसी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को सुपरसीड कर सकता है।
- बिल आरबीआई को इस बात की अनुमति देता है कि वह मोहलत (मोराटोरियम) दिए बिना बैंक के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दे।

3. प्रमुख मुद्दे और विश्लेषण

- सहकारी बैंक निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि वाणिज्यिक बैंकों की तरह आरबीआई सहकारी बैंकों की रेगुलेटरी निगरानी नहीं करता, जोकि सहकारी बैंकों के खराब प्रदर्शन का एक कारण है। यह विधेयक सहकारी बैंकों के प्रबंधन, पूंजी, ऑडिट और वाइंडिंग अप (कारोबार समेटने) को आरबीआई रेगुलेशन के दायरे में लाता है।
- संविधान में 'बैंकिंग' संघीय सूची में आने वाला विषय है और सहकारी समितियों का 'निगमीकरण, रेगुलेशन और वाइंडिंग अप' राज्य सूची का। विधेयक सहकारी बैंकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने सदस्यों और बैंक के संचालन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं। चूंकि सहकारी समितियां अपने सदस्यों से पूंजी जमा करती हैं, यह अस्पष्ट है कि पब्लिक से इक्विटी कैपिटल जमा करने का क्या अर्थ है। इसके अतिरिक्त सदस्यों के शेयर कैपिटल के रिडंप्शन पर रोक लगाने से उनके बाहर निकालने का विकल्प सीमित होता है।

4. अपवाद

- राज्य कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार की मौजूदा शक्तियां इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होंगी।
- ये परिवर्तन उन प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies -PACS) या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास हेतु दीर्घकालिक वित्त प्रदान करना है तथा जो 'बैंक', 'बैंकर या 'बैंकिंग' शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं।

5. सहकारी बैंकों का विनियमन

- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी बैंक आते हैं। सहकारी बैंक निम्न आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेश का उद्देश्य पूरा होता है। 2015 तक सहकारी बैंकों के लगभग 90% ऋणों में से प्रत्येक पांच लाख रुपए से कम के थे जोकि इन बैंकों के कुल उधार का 33% है। सहकारी बैंक ऐसी सहकारी समितियां होते हैं जिनका मुख्य कारोबार बैंकिंग होता है। इन समितियों पर इनके सदस्यों का स्वामित्व होता है। वे ही उन्हें प्रमोट, नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं।

06 ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा पहली बार भारत के आठ सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र के लिए सिफारिश की गई है।

2. ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण

- ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन (The Foundation for Environmental Education–FEE) द्वारा किया जाता है। यह कार्यक्रम सागर तटों तथा मरीनों (marinas) के रख रखाव और साफ सफाई के लिए किया जाता है।
- इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन-अप डे दिवस 1986 से दुनिया के करीब 100 देशों में मनाया जाता है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है।

3. प्रमुख बिन्दु

- ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ये आठ सागर तट हैं-गुजरात का शिवराजपुर तट, दमण एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच और पदुबिरदी बीच, केरल का कप्पड बीच, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच।
- सरकार देश भर के सागर तटों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तटवर्ती इलाकों के स्वच्छ सागर तट स्वच्छ पर्यावरण के प्रमाण हैं। समुद्री कचरा और तेल के बिखरने से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है और भारत सरकार सागर तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के लिए महती प्रयास कर रही है।
- एकीकृत तटीय प्रबंधन (SICOM) और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के उद्देश्य से तैयार अपनी नीतियों को आगे बढ़ने के लक्ष्य को तेकर अपने समन्वित तटीय प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएम) के अंतर्गत एक उच्च गुणवत्ता वाला कार्यक्रम बीम्स (तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा) शुरू किया है।
- यह परियोजना आईसीजेडएम की कई अन्य परियोजनाओं में से एक परियोजना है जिसे भारत सरकार तटवर्ती इलाकों के सतत विकास के लिए लागू कर रही है ताकि वैश्विक रूप से मान्य प्रतिष्ठित ईको लेबल ब्लू फ्लैग को हासिल किया जा सके।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समग्र तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से तटवर्ती क्षेत्र और सागर की ईको व्यवस्था की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक समग्र तटीय प्रबंधन व्यवस्था शुरू की है जिसमें वह अपने सीकॉम विंग के माध्यम से एक परस्पर संपर्क, गतिशीलता, बहु अनुशासन और पुनरावृत्तिमूलक प्रक्रिया से तटीय इलाकों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

4. एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (ICZM)

- आईसीजेडएम (ICZM) की परिकल्पना 1992 में रियो दि जनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान पेश की गई थी अब विश्व के लगभग सभी तटवर्ती देश अपने तटों के प्रबंधन का काम आईसीजेडएम के सिद्धांतों के अनुसार करते हैं। अत: अपने तटीय क्षेत्र के प्रबंधन और सतत विकास के लिए आईसीजेडएम के सिद्धांतों के पालन से भारत को इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के प्रति व्यक्त प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलती है।
- तटीय पर्यावरण एवं सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा (Beach Environment and Aesthetics Management Services-BEAMS) कार्यक्रम का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्र के जल को प्रदूषित होने से बचाना, तटों पर समस्त सुविधाओं का सतत विकास, तटीय ईको व्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन और अन्य भागीदारों को बीच की स्वच्छता और वहां आने वालों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का तटीय पर्यावरण और नियमों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने को प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य बनाकर तटीय मनोरंजन का विकास करना है।

07 समर्थ योजना

1. संदर्भ

- भारत में टेक्सटाइल क्षेत्र देश में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें सीधे तौर 4.5 करोड़ से अधिक लोग और संबद्ध क्षेत्र में 6 करोड़ लोग हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी महत्वपूर्ण है।
- विदित हो कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना- समर्थ को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 20 दिसंबर, 2017 को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य वस्त्र संचालित क्षेत्रों में नौकरियों को बनाने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूरक करने के लिए मांग संचालित, नियुक्ति उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुपालन स्किलिंग कार्यक्रम प्रदान करना है।

2. समर्थ योजना क्या है

- कृषि के बाद देश में सबसे अधिक रोजगार टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है। इस इंडस्ट्री में कुशल कारीगर तैयार करने के मकसद से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए समर्थ योजना को 2018 में लॉन्च किया गया।
- इस योजना के तहत सरकार कपड़ा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख युवा भारतीयों को 2017 से 2020 तक 3 साल की अवधि में प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- इस योजना को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

3. समर्थ योजना से क्या होगा लाभ

- केंद्र सरकार ने लोगों को समर्थ बनाने के लिए 18 राज्यों के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत सभी राज्यों के 4 लाख लोगों को वस्त्र उद्योग से जुड़े हुनर सिखाए जाएंगे।
- भारत सरकार की 'समर्थ' योजना से युवाओं को वस्त्र उद्योग में रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। इनमें से 9 लाख लोगों को असंगठित क्षेत्र में तथा एक लाख को संगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह योजना निर्यात को बढ़ावा देगी और 2025 तक कपड़ा क्षेत्र में 300 अरब डॉलर के निर्यात की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण युवाओं को मिलेगा।
- इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी लाभार्थियों को वस्त्र क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कामकाजों में नौकरियां दी जाएंगी। वस्त्र से जुड़े जिन क्षेत्रों में लोगों को कुशल बनाया जाएगा, उनमें तैयार परिधान, बुने हुए कपड़े, धातु हस्तकला, हथकरघा, हस्तकला और कालीन आदि शामिल हैं।
- इस योजना से महिलाओं को आमदनी का जरिया भी मिलेगा। इससे महिला सशक्तिकरण होगा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 विदेशी योगदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह विधेयक व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्रापित तथा उपयोगिता को नियंत्रित करता है।
2. इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः यह विधेयक व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्रापित तथा उपयोगिता को नियंत्रित करता है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा कुछ व्यक्तियों को किसी भी विदेशी योगदान को स्वीकार करने के लिए निषेध कर दिया गया है। इस तरह दोनों कथन सही हैं अतः उत्तर (c) होगा।

02 काकतीय राजवंश

प्र. काकतीय राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं-14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था।
2. कल्याणी के चालुक्य वंश के काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंतों के रूप में राज्य में शासन करते थे।
3. 1323 ई० में वारंगल पर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गयासुद्धीन तुगलक द्वारा विजय प्राप्ती के बाद इस वंश का पतन हो गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः काकतीय राजवंश का उत्कर्ष 12वीं-14वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश के काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंतों के रूप में राज्य में शासन करते थे। 1323 ई० में वारंगल पर दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान गयासुद्धीन तुगलक द्वारा विजय प्राप्ती के बाद इस वंश का पतन हो गया। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा

03 राज्यसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. उप सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. नियम 250 के अंतर्गत राज्यसभा में कार्य के संचालन और आचरण के नियमों का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः उप सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नियम 250 के अंतर्गत राज्यसभा में कार्य के संचालन और आचरण के नियमों का प्रावधान किया गया है। इस तरह दोनों कथन सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

04 गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गैर कानूनी अधिनियम को सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में लागू किया गया है।
2. इस अधिनियम के प्रावधान सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः गैर कानूनी अधिनियम को पूरे भारत में लागू किया गया है। इस अधिनियम का प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिक दोनों पर लागू होते हैं। इस तरह दोनों कथन गलत है, अतः उत्तर (d) होगा।

05 बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020

प्र. बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक- 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस विधेय के जरिए 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है।
2. सहकारी बैंक RBI की पूर्व मंजूरी से पब्लिक से इक्विटी या अनसिक्योर्ड डेट कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं।
3. बिल RBI को इस बात की अनुमति देता है कि वह मोहलत दिए बिना बैंकों के पुनर्गठन और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में संसद ने बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। इसमें बैंकों के लाइसेंस, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। यह बैंकों के कामकाज का विनियमन करता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

06 ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र

प्र. ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) ब्लू फ्लैग कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनबायरमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा किया जाता है।
(b) यह कार्यक्रम सागर तटों तथा मरीनों के रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए किया जाता है।
(c) ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाता है।
(d) 'इंटर नेशनल कोस्टल क्लीन-अप डे' दिवस वर्ष 1986 में अपनाया गया था।

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा पहली बार भारत के आठ सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ईको लेबल ब्लैग प्रमाणपत्र के लिए सिफारिश की गई है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट डेनमार्क की एक संस्था द्वारा दिया जाता है (न कि आस्ट्रेलिया द्वारा) अतः कथन (c) होगा।

07 समर्थ योजना

प्र. समर्थ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना के तहत सरकार कपड़ा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
2. तीन साल की अवधि (2017-2020) में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

03. इस योजना को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः उल्लेखनीय है कि स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना समर्थ को 20 दिसंबर, 2017 को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र संचालन क्षेत्रों में नौकरियों के सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ मांग, संचालित, नियुक्ति उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यताएं फ्रेमवर्क अनुपालन स्किलिंग कार्यक्रम प्रदान करना है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 डायस्पोरा बॉन्ड

चर्चा में क्यों

- हाल ही में केरल सरकार ने डायस्पोरा बॉन्ड (Diaspora Bond) को जारी किया है।

डायस्पोरा बॉन्ड क्या है?

- डायस्पोरा बॉन्ड एक देश द्वारा अपने प्रवासी को जारी किया जाने वाला एक बॉन्ड है।
- यह बॉन्ड विकासशील देशों के प्रवासियों को आर्थिक आवश्यकताओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- दूसरे शब्दों में कहें तो डायस्पोरा बॉन्ड का उपयोग ज्यादातर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में या विकासशील देशों में आपदाओं के समय राहत पहुँचाने के लिए किया जाता है।

प्रमुख बिन्दु

- केरल राज्य के लगभग 20 लाख प्रवासी कामगर पश्चिम एशियाई देशों (मुख्यत: खाड़ी देश) में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में कार्यरत है।

- केरल प्रवास सर्वेक्षण और विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में जहाँ प्रेषित धन 13 बिलियन डॉलर था, वह 2019 में बढ़कर 14 बिलियन डॉलर हो गया था।
- भारतीय राज्यों में केरल और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। इस रेमिटेंस के प्रवाह में किसी भी प्रकार के व्यवधान से इन राज्यों में वित्तीय अस्थिरता आ जाती है। इससे वहाँ के लोगों के क्रय शक्ति में कमी आती है और उनका स्वस्थ्य और शिक्षा प्रभावित होता है।
- भारत जो विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। भारत गत वर्ष 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस प्राप्त किया वहीं 2020 में इसमें 20 प्रतिशत के गिरावट का अनुमान है।
- केरल, जो भारत में कुल रेमिटेंस अंतरप्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है, वर्तमान वैश्विक रेमिटेंस प्रवाह में गिरावट के कारण सबसे प्रभावित राज्य हो सकता है।

02 वर्चुअल तरीके से विश्व पर्यटन दिवस

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वर्चुअल मंच के माध्यम से विश्व पर्यटन दिवस मनाया है।

विश्व पर्यटन दिवस

- विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितम्बर को मनाया जाता है। 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है।
- इस साल संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने वर्ष 2020 को पर्यटन और ग्रामीण विकास वर्ष के रूप में नामित किया है।
- यह वर्ष रोजगार और अवसर पैदा करने के लिए पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का एक अवसर है।
- यह समावेशन को भी बढ़ावा दे सकता है और प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के साथ ही शहर की ओर पलायन को रोकने में पर्यटन की ओर से निभाई जाने सकने वाली

अद्वितीय भूमिका को भी उजागर करेगा। विदित हो कि इस कार्यक्रम के दौरान 'साथी' (एसएएटीएचआई) नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है।

साथी' (एसएएटीएचआई) एप्लीकेशन

- 'साथी' भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जो आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए और होटल /यूनिट की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में सहायक होगी।

कार्यक्रम का उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना है।
- टिकाऊ पर्यावरण के लिए पर्यटन और खेलों में इस्तेमाल नावों में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल (मिट्टी के तेल) आदि की जगह सीएनजी/एलपीजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो प्रदूषण मुक्त हैं।
- पर्यटक स्थलों के अंदर और आसपास के बाहरी इलाकों में बैटरी चालित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

03 नमामि गंगे अभियान

चर्चा में क्यों

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने "नमामि गंगे मिशन" के तहत उत्तराखंड में छह मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट

- सरकार ने जुलाई 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 'नमामि गंगे' नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया था।
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बिहार में 4 और बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।

उत्तराखंड के मेगा परियोजना

- इन परियोजनाओं में 68 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एक नए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण, हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित 27 एमएलडी (Million of liter per day) क्षमता वाले एसटीपी के अपग्रेडेशन और हरिद्वार के ही सराई में 18 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण शामिल है।
- जगजीतपुर का 68 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी, सार्वजनिक निजी भागीदारी से पूरी की गई पहली हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल वाली परियोजना है। ऋषिकेश में लक्कड़घाट पर 26 एमएलडी क्षमता वाले एक एसटीपी का भी उद्घाटन किया जाएगा।
- उत्तराखंड में हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र से गंगा नदी में लगभग 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल बहाया जाता है, ऐसे में यहां कई एसटीपी परियोजनाओं का निर्माण गंगा नदी को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नमामि गंगे मिशन के उद्देश्य

- गंगा की पूर्ण सफाई कर प्रदुषण मुक्त करना।
- नमामि गंगे प्रोजेक्ट के द्वारा गंगा के किनारे बसे लोगों का आर्थिक उत्थान करना।

04 खगोलीय फोटोग्राफी

चर्चा में क्यों

- ब्रह्माण्ड में कॉस्मिक जून से पहली एक्सट्रीम-यूवी किरणों का पता लगाने वाले उपग्रह ने, 28 सितंबर, 2020 को अपना 5 वां जन्मदिन मनाया है।

प्रमुख बिंदु

- अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, या यूवीआईटी (Ultra-Violet Imaging Telescope) एक '3in-1' इमेजिंग टेलीस्कोप है जो एक साथ दृश्यमान, निकट-पराबैंगनी (एनयूवी) और दूर-पराबैंगनी (एफयूवी) स्पेक्ट्रम का पर्यवेक्षण कर सकता है।
- 230 किलोग्राम वजन के साथ, यूवीआईटी में दो अलग- अलग टेलिस्कोप शामिल हैं। उनमें से एक दृश्यमान (320-550 एनएम) और एनयूवी (200-300 एनएम) के रूप में काम करता है। दूसरा केवल एफयूवी (130-180 एनएम) में काम करता है।
- यह भारत की पहली बहु-तरंगदैर्ध्य खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोसैट के पांच पेलोड में से एक है, जिसने 28 सितंबर 2020 को आकाश में खगोलीय पिंडों का चित्र (इमेजिंग) लेते हुए अपने पांच साल पूरे किये हैं।
- अपने संचालन के पांच वर्षों में, इसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसने भारत और विदेश के वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित 800 अद्वितीय आकाशीय स्रोतों के 1166 पर्यवेक्षण-कार्य पूरे किये हैं।
- इसने तारों तथा तारा समूहों की खोज की है और हमारी आकाशगंगा (Milkyway) में बड़े और छोटे उपग्रह का मानचित्रण किया है, जिसे मैगेलैनिक क्लाउड्स कहा जाता है, जो ब्रह्मांड में एक ऊर्जावान घटना है जैसे अल्ट्रा-वायलेट के समकक्ष के रूप में गामा-किरण विस्फोट, सुपरनोवा, सक्रिय आकाशगंगा नाभिक आदि।
- इसकी बेहतर स्थानिक रिजॉल्यूशन क्षमता ने खगोलविदों को आकाशगंगाओं में तारों के निर्माण का पता लगाने में मदद की है।
- यूवीआईटी के पर्यवेक्षणों ने हाल ही में पृथ्वी से लगभग 10 बिलियन प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित एक आकाशगंगा की खोज की है,जो अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण का उत्सर्जन कर रही है
- एस्ट्रोसैट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण उपग्रह साबित हुआ है।
- यह उपग्रह दूर के पराबैंगनी से लेकर कठोर एक्स-रे बैंड तक विभिन्न तरंगदैर्ध्य सीमा में एक साथ अवलोकन करने में सक्षम है।

05 बुशरा अतीक को "शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार"

चर्चा में क्यों

- हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा तथा आईआईटी कानपुर में शिक्षक डा. बुशरा अतीक को विज्ञान के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार "शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार-2020" से सम्मानित किया गया है।

शान्ति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार

- शान्ति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार का प्रारम्भ सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डा. शांति स्वरूप भट्नागर की स्मृति में 1957 ई. से किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार वार्षिक है। इस पुरस्कार का मूल उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण प्रतिभा के धनियों को सामने लाना है।

प्रमुख बिंदु

- डा. बुशरा अतीक को यह पुरस्कार आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये प्रदान किया गया है।
- ज्ञात हो कि डा. बुशरा अतीक ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जन्तु विज्ञान में

प्रो. वसीम अहमद फरीदी की निगरानी में 1998-2003 के दौरान अपना शोध कार्य पूर्ण किया था।

- आईआईटी कानपुर के बायोकैमिकल साइंसेज तथा बायोइंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डा. बुशरा छाती तथा प्रोस्टेट कैंसर के लिये जिम्मेदार बायोमार्कर्स तथा मोल्युकूलर बदलावों पर कार्य कर रही है।
- इससे पूर्व डा. बुशरा को 2018 के सीएनआर राव फैकल्टी एवार्ड से भी सम्मानित किया जा चूका है।
- डा. बुशरा की इस महान उपलब्धियों से मानव जीवन को लाभ होगा।
- डा. बुशरा ने अपने शोध से यह सिद्ध किया है कि आयु तथा नस्लीय सम्बद्वता कैंसर के प्रति मनुष्य की प्रभावित होने की संभावना को तय करती है। इसके अलावा उन्होंने अपने शोध में यह भी कहा है कि ऐशियाई मूल के लोग अफ्रीकी अथवा गोरी जाती के लोगों के मुकाबले कैंसर से कम प्रभावित होते हैं।
- डा. बुशरा इस वर्ष शांति स्वरूप भट्नागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12 वैज्ञानिकों में शामिल हैं।

06 नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020

चर्चा में क्यों

- हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक नयी रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (2020) को जारी किया है, जिसमें स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने और भारत को शस्त्रों तथा सैन्य क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाने पर ध्यान दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)2020, उस प्रक्रिया का स्थान लेगी जिसे 2016 में जारी किया गया था।
- 2020 रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)और मेड इन इंडिया जैसे नए विचार शामिल हैं।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में पहली बार रक्षा उपकरण लीज पर लेने की बात कही गई है।
- इसके साथ ही इस रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में विदेशों से आयात किए जाने वाले रक्षा कलपुर्जो के स्वदेश में निर्माण की बात कही गई है।

- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में खरीद के लिए भारत में निर्मित एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है जिसके तहत कोई विदेशी कंपनी भारत में अपनी शाखा खोल कर अपने रक्षा सामान का निर्माण कर सकती है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 ,पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी को समान अवसरों के सिद्धांतों पर जोर देता है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का उद्देश्य

- यह रक्षा खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने और आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गयी है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया का लक्ष्य स्वदेशी डिजाइन और रक्षा हथियारों के विनिर्माण को समयबद्ध तरीके से बढ़ावा देना है।

07 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

चर्चा में क्यों

- हाल ही में ओडिशा के बालासोर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस मिसाइल का सफल परीक्षण 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने किया है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।
- इस मिसाइल का वजन लगभग 2.5 टन है और इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 300 किमी है।
- डीआरडीओ के अनुसार इस मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है।
- कई स्वदेशी विशिष्टताओं से लैस यह मिसाइल 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह अत्याधुनिक मिसाइल भारत की रक्षा क्षमता को बल प्रदान करेगा।'

ब्राह्मोस मिसाइल

- डीआरडीओ और रूस के प्रमुख एरोस्पेस उपक्रम एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्राह्मोस मिसाइल 'मध्यम रेंज की

रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज' मिसाइल है, जिसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों तथा जमीन से दागा जा सकता है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिये देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषांगिक ईकाई के रूप में काम करता है। इस संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गयी थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी इक्यावन प्रयोगशालाएँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में रत हैं। पाँच हजार से अधिक वैज्ञानिक और पच्चीस हजार से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं। यहां राडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि से संबंधित कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 वर्तमान परिदृश्य में स्टेम (STEM) रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका संतोषजनक नहीं हैं। "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2020 रोजगार क्षेत्र में लैंगिक असमानता को दूर करने में किस प्रकार सहायक हो सकती है?

02 "ग्लोबल कॉमन्स" से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में यह किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है और इसे नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है?

03 जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA-Climate Smart Agriculture) से आप क्या समझते है? जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न वर्तमान समस्याओं में जलवायु-स्मार्ट कृषि किस प्रकार सहायक हो सकता है।

04 लैंगिक संवेदनशीलता को समझाते हुए महिलाओं की सुरक्षा के संबन्ध में लैंगिक संवेदनशीलता में वृद्धि पर प्रकाश डालिए?

05 न्यू इंडिया में ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा की क्या भूमिका हो सकती है ? चर्चा कीजिए

06 विश्व भर में एक तरफ 2014 के बाद से भूख से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और दूसरी तरफ प्रत्येक दिन लाखों टन खाद्य पदार्थ नष्ट या बर्बाद हो जाता है। ऐसे में खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण (Food Loss and Waste reduction) जागरूकता दिवस के महत्व को समझाइए?

07 भारत की विकास यात्रा में जहाँ समावेशी आर्थिक विकास, विकास की एक नई मिसाल बनकर उभरा है वहीं अनुसूचित जनजातियां (एसटी) आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्या जीआई टैग पारंपरिक उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देने और जनजातियों को उद्यमी बनाने में मदद करेगा? चर्चा कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री 'अटल सुरंग' का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है?

हिमाचल प्रदेश

02 किस आईटी कंपनी ने, जो छोटे-मझोले कारोबारियों को मदद करने के लिए ' मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग' (Make Small Strong) अभियान शुरू किया है?

गूगल

03 हाल ही में, आयुष मंत्री ने किस राज्य में आदिवासियों के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया है?

महाराष्ट

04 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किस तारीख को 'स्वस्थ उम्र वृद्धि दशक (2020-2030)' की शुरुआत की?

1 अक्टूबर 2020

05 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के तहत मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी क्लस्टर के साथ हाल ही में किन दो राज्यों को एकीकृत किया गया है?

तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश

06 दूसरे राष्ट्रीय सीरो-सर्वेक्षण के अनुसार, भारत के वयस्क आबादी का कितना प्रतिशत कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुका है?

लगभग 7 %

07 हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया है?

श्रीलंका

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06 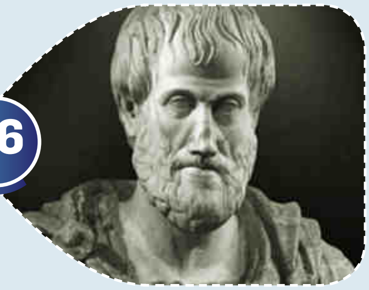

01 खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है, खुद को दूसरों की सेवा में खो दो।

महात्मा गांधी

02 हर कोई दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की नहीं सोचता है।

लियो टॉलस्टॉय

03 कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ा हो उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और चुनौती भी देना होगा।

भगत सिंह

04 खुशी की पहली शर्त यह है कि आदमी को अपने काम में खुशी मिलनी चाहिए। जब तक काम में आनंद नहीं आता, तब तक एक लक्ष्यहीन जीवन आत्मा को नष्ट कर सकता है।

रस्किन बॉन्ड

05 किसी भी मिशन की सफलता के लिए, रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक हैं।

अब्दुल कलाम

06 दोस्त बनना एक जल्दी का काम है लेकिन दोस्ती एक धीमी गति से पकने वाला फल है।

अरस्तु

07 सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा।

स्वामी विवेकानंद

ध्येय IAS
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evident from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. [illegible] Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. [illegible]

DSDL Prepare yourself from distance

Distance Learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros for economic or family reasons but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. [illegible] The distance learning material is comprehensive, concise and [illegible] in nature. [illegible] Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. [illegible]

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 9591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

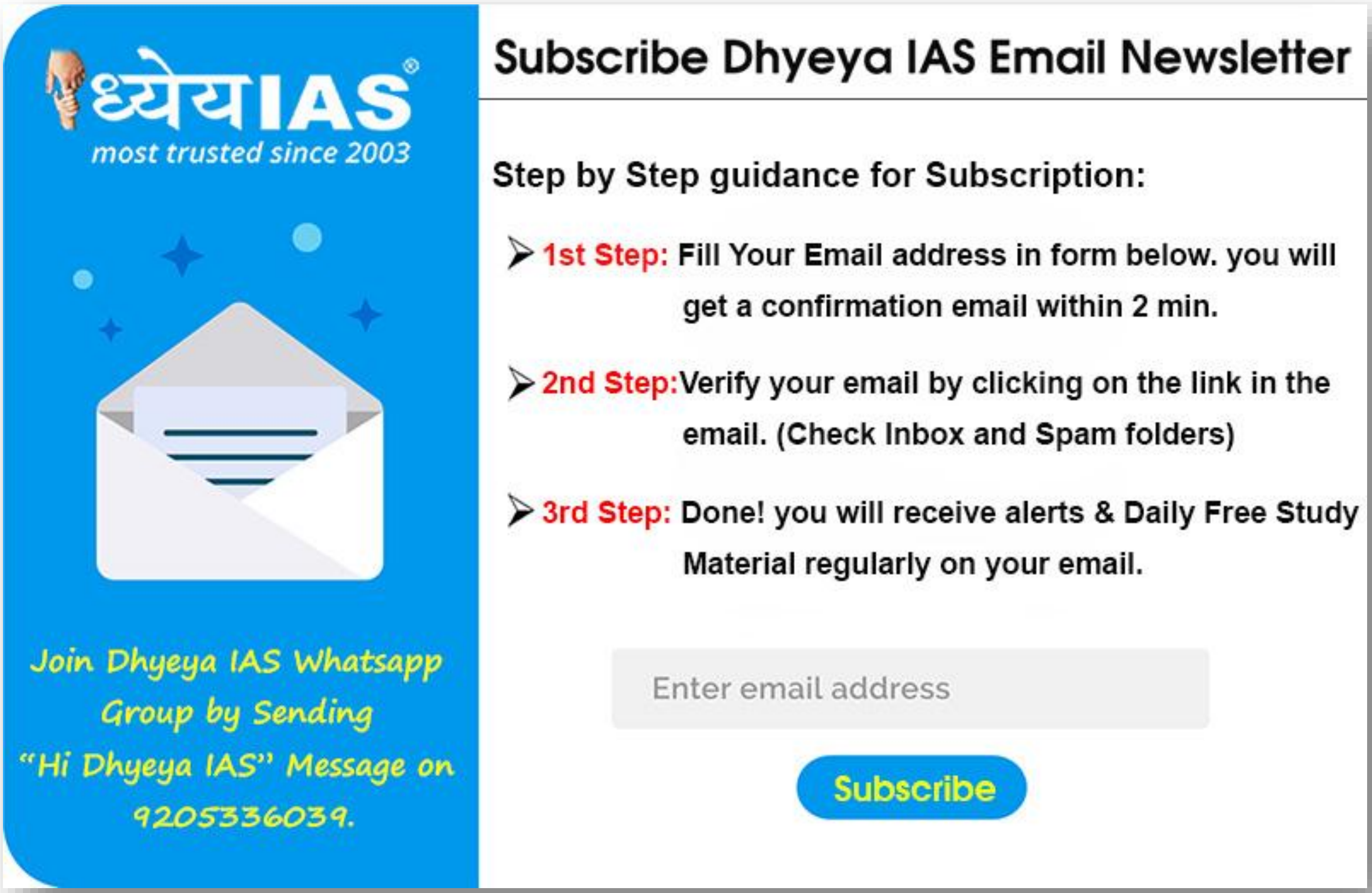

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com